न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 05/2016

अपीलार्थी– *बनाम* **उत्तरदाता–**

चिराग शाह पुत्र शौकिन शाह
जाति साई निवासी पाटोदी
तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

राजस्थान राज्य बजरिये
1. तहसीलदार पचपदरा
2. उप तहसीलदार पाटोदी

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.05.2014 जो प्रकरण सं. 60/2014 मे उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री अर्जुनराम बोसिया, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री रतनाराम चौधरी, राजकीय अधि0 उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 14.09.2022

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा प्रकरण सं. 60/2014 सरकार बनाम चिराग शाह में पारित निर्णय दिनांक 07.05.2014 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पटवारी हल्का पाटोदी द्वारा उप तहसीलदार पाटोदी के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पाटोदी के खसरा नम्बर 4129/3751 रकबा 3–12 बीघा किस्म गैर मुमकीन रास्ता में से 2400 वर्गफीट भूमि पर गैर सायल चिराग शाह द्वारा पक्का कमरा बनाकर कर अतिक्रमण किया गया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:36:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल की ओर अधिवक्ता दौरान सुनवाई उपस्थित। इस पर उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 07.05.2014 के द्वारा 50/– रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 26.08.2015 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। अपील के साथ ही धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया।

4. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक एवं वाक्याती तथ्यों की भूल की है। अपीलांट ग्राम पाटोदी का मूल निवासी हैं तथा बी0पी0एल0 श्रेणी का खेतीहर मजदूर हैं, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा खसरा नम्बर 4129/3751 की पड़त भूमि पर वर्ष 2005–2006 में सामाजिक कल्याण योजनान्तर्गत बी0पी0एल0 आवास स्वीकृत कर आवास निर्माण कराया एवं अपीलांट को बसाया गया। अपीलांट के पास उक्त भूखण्ड के अलावा अन्य कोई रहवासीय भूखण्ड नहीं हैं तथा इस भूखण्ड पर परिवार सहित निवास कर रहा हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत करने समुचित अवसर प्रदान नहीं कर जल्दबाजी में राजनैतिक दबाव में आकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा गैर मुमकीन रास्ता की भूमि के बदले अन्य पड़त भूमि पर मौके पर भौतिक स्थिति अनुसार [illegible] के लिये सुलभ सड़क निर्माण होने के पश्चात ही शेष [illegible] गरीब एवं बी0पी0एल0 परिवारों को बसाया गया हैं। इस प्रकार [illegible] पर जब उक्त रास्ते की भूमि का भविष्य में भी रास्ते के रूप में उपयोग गौण हो गया था तब ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:36:42 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पंचायत द्वारा आबादी के लिये आवासीय पट्टे जारी किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि एवं अन्य पड़त भूमि पर बसी आबादी का पूर्ण सर्वे एवं कब्जे की जांच नहीं की हैं तथा इस व्यवहार्य परिस्थितियों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं जो निरस्त योग्य हैं।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया तथा अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा उक्त आदेश की यथासमय जानकारी नहीं दी गई, जिससे अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नही हुई तथा जानकारी होने पर यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की जा रही हैं। इसके उपरांत भी विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। अतः अपीलांट की यह अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें तथा विवादित भूमि अपीलांट के पक्ष में नियमित करने के तहसीलदार पचपदरा को आदेश जारी फरमावें।

6. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब मे राजकीय अधिवक्ता ने प्रकट किया है कि पटवारी हल्का पाटोदी द्वारा उप तहसीलदार पाटोदी के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पाटोदी के खसरा नम्बर 4129/3751 रकबा 3–12 बीघा किस्म गैर मुमकीन रास्ता में से 2400 वर्गफीट भूमि पर गैर सायल चिराग शाह द्वारा पक्का कमरा बनाकर कर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए किन्तु समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी [illegible] सबूत प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 07.05.2014 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:36:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

द्वारा 50/– रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती भूल नहीं होने से इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

7. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा अपने कब्जा व अधिपत्य को ग्राम पाटोदी के गे0मु0 रास्ता भूमि पर पक्का कमरा बनाकर बीपीएल श्रेणी में निर्मित आवास का रहवासीय उपयोग होना प्रकट किया है जबकि राजस्व रेकर्ड अनुसार उक्त भूमि गैर मुमकीन रास्ता दर्ज हैं। जहां तक उक्त रास्ता की भूमि पर ग्राम पंचायत की ओर से बीपीएल को आवास निर्माण कराया गया हैं तो इसके आधार पर अपीलांट के अनाधिकृत कब्जे को विधिमान्य नहीं ठहराया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई दिनांक 18.03.2014, 25.03.2014 को जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ है तथा आदेशिका पर उपस्थिति के हस्ताक्षर अंकित है। जब स्वंय अपीलांट ने अपनी पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त किया गया हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ हैं तो उसे अपना जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत करना चाहिए था इसके बावजूद भी यदि मुतनाजा भूमि पर उसका कोई विधि सम्मत अधिकार है तो उसे इस अपील के संलग्न भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अपीलांट द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न ही इस न्यायालय के समक्ष विवादित सरकारी भूमि पर अपने स्वामित्व अथवा आधिपत्य हक अधिकार के बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, ऐसे मे [illegible] न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपील[illegible] खल करने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमे हमारे [illegible] से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:36:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.05.2014 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 14.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:36:42 IST
Reason: SelfAttested